



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan

क्षेत्रीय कार्यालय/REGIONAL OFFICE

केन्द्रीय विद्यालय क. 1, ए.एफ.एस. कैम्पस, सैक्टर-14

KV No. 1, AFS Campus, Sector-14

गुरुग्राम (हरियाणा)/Gurugram (Haryana)-122001

Phone: 0124-2307399(DC), 2307499, 2307599, 2307699

फा.320046/आं.शि.स./केविसं/2021-22/गुरुग्राम/1-4

दिनांक: 28.03.2024


01/04
ई-मेल/त्वरित डाक

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) के पत्र सं. 11-55/2000-KVS(Vig.)/PTI/1311-1352 दिनांक 05.03.2019 की अनुपालना में एवं इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.10.2021 के अधिकरण में "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण)" अधिनियम, 2013 अध्याय II की धारा 4 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गुरुग्राम संभाग के अधीन आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित शिकायतों के निपटान हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है:-

क्र.सं.	पदनाम	अधिकारी/सदस्य का नाम	पद	समिति का क्षेत्राधिकार
1.	पीठासीन अधिकारी	श्रीमती इन्दिरा मुदगल	सहायक आयुक्त, के. वि. जयपुर संभाग, जयपुर	क्षेत्रीय कार्यालय में अनुभाग अधिकारी स्तर
2.	गैर-सरकारी संग सदस्य	श्रीमती पूनम भटनागर	अधिवक्ता	(वित्त अधिकारी को छोड़कर) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय
3.	सदस्य	श्रीमती भारती कुक्कल	प्राचार्य, के. वि. क्र. 3 फरीदाबाद	अधीनस्थ प्राचार्यों, उप-प्राचार्यों तथा
4.	सदस्य	श्री करमबीर सिंह गिल	प्राचार्य, के. वि. क्र. 2, सोहना रोड गुरुग्राम	मुख्याध्यापकों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायतों की जांच करना।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतें उपरोक्त समिति को निर्दिष्ट की जायेंगी एवं समिति इस संबंध में अपनी जांच आख्या शिकायत प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति का कार्यकाल 01.04.2024 से तीन वर्ष के लिए रहेगा। यदि किसी प्रशासनिक कारणों से कोई परिवर्तन होता है तो उसे समाहित करते हुए सूचित कर दिया जायेगा।


(वरुण मिश्र)
उपायुक्त

वितरण:-

1. श्रीमती इन्दिरा मुदगल, सहायक आयुक्त, के. वि. सं. जयपुर संभाग, जयपुर एवं समिति की पीठासीन अधिकारी को सूचनार्थ।
2. के. वि. सं. गुरुग्राम के अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश को समस्त स्टाफ सदस्यों के संज्ञान में लायें। साथ ही के. वि. सं. मुख्यालय के पत्र सं. 11-55/2000-KVS(Vig.)/PTI/1311-1352 दिनांक 05.03.2019 की अनुपालना में एक समिति विद्यालय स्तर पर भी गठित करें।
3. उपायुक्त, समस्त के. वि. सं./निदेशक, समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण का आंचलिक संस्थान को सूचनार्थ।
4. सहायक आयुक्त (सतर्कता), के. वि. सं. (मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. के. वि. सं. क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम संभाग के समस्त कर्मचारियों को सूचनार्थ।